भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *33
22 जुलाई, 2025 को उत्तर के लिए

आंध्र प्रदेश में आदर्श मत्स्यन गांव

*** 33. श्री जी. एम. हरीश बालयोगी :**
श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में आदर्श मत्स्यन गांवों के विकास के लिए कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में स्वीकृत, अनुमोदित और विकसित किए गए आदर्श मत्स्यन गांवों की जिला वार संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य में आदर्श मत्स्यन गांवों के विकास के लिए वर्ष-वार और जिला-वार कितनी- कितनी धनराशि आवंटित, जारी और उपयोग की गई;

(घ) क्या सरकार ने तटीय समुदायों को जलवायु परिवर्तन से आने वाले जोखिमों से बचाने के लिए राज्य में जलवायु अनुकूल तटीय मछुआरा ग्रामों (CRCFV) के विकास हेतु कोई पहल आरंभ की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य में CRCFV के अंतर्गत जिला-वार कितने गांवों की पहचान की गई है अथवा अनुमोदित किए गए हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*****

आंध्र प्रदेश में आदर्श मत्स्यन गांवों के संबंध में 22 जुलाई, 2025 को उत्तर देने के लिए माननीय संसद सदस्य, लोक सभा श्री जी. एम. हरीश बालयोगी और श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 33 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मत्स्यपालन विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 से कार्यान्वित की जा रही प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) में *अन्य बातों के साथ-साथ* 750 लाख रुपए प्रति इकाई लागत पर एकीकृत आधुनिक तटीय गांवों के विकास की परिकल्पना की गई है, जिसका उद्देश्य स्थायी (सस्टेनेबल) मछली पकड़ने की प्रथाओं को अपनाकर पर्यावरणीय नुकसान को कम करते हुए तटीय मछुआरों के आर्थिक और सामाजिक लाभ को अधिकतम करना है । इस पहल का उद्देश्य तटीय गांवों में मछुआरों की आजीविका सुरक्षित करना है और मात्स्यिकी मूल्य श्रृंखला में उनकी भागीदारी बढ़ाकर उन्हें सशक्त बनाना है। इस पहल द्वारा गांवों की स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर मात्स्यिकी इनफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक सुविधाओं, आपदा प्रतिरोधी मकानों, चक्रवात और सुनामी आश्रयों और पोस्ट हारवेस्ट सुविधाओं में सहायता प्रदान की जाती हैं । PMMSY के तहत इस गतिविधि के माध्यम से तटीय गांवों की अंतर्निहित शक्तियों का लाभ उठाकर उनके आर्थिक लाभों को स्थायी रूप से बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत एकीकृत आधुनिक तटीय मत्स्यन गाँवों का विकास एक गैर-लाभार्थी-उन्मुख गतिविधि है जिसे तटीय राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किया जाता है और इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच लागत-साझेदारी 60:40 है। PMMSY घटक - एकीकृत आधुनिक तटीय मत्स्यन गाँवों के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) से (ङ): मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत मत्स्यपालन विभाग ने तटीय समुदायों के विकास के महत्व को समझते हुए, प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत एक और परिवर्तनकारी पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समुद्र तट के समीप स्थित विद्यमान 100 मछुआरा गांवों को जलवायु अनुकूल तटीय मछुआरा गांवों [क्लाईमेट रेसीलिएंट कोस्टल फिशरमैन विल्लेजस (CRCFV)] के रूप में विकसित करना है ताकि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त मछुआरा गांव बनाया जा सके। CRCFV का विकास प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के केंद्रीय क्षेत्र योजना घटक के तहत किया गया है, जिसमें प्रति मत्स्यन गांव की इकाई लागत 200 लाख रुपए है और सम्पूर्ण लागत (100%) भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है ।

अन्य उद्देश्यों के साथ-साथ, इस परिवर्तनकारी पहल का उद्देश्य, तटीय मछुआरा गाँवों को स्थायी, आर्थिक रूप से सशक्त और जलवायु-प्रतिरोधी मत्स्यन केंद्रों (फिशिंग हब्स) के रूप में विकसित करना है, जो पर्यटन को आकर्षित कर सकें और तटीय व्यापार को बढ़ावा दे सकें। इसका मुख्य उद्देश्य आवश्यकता-आधारित मात्स्यिकी इनफ्रास्ट्रक्चर का विकास करके मछुआरों को स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करना है और स्थायी, पर्यावरण-अनुकूल और जलवायु-प्रतिरोधी आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना है । यह योजना बेहतर सुरक्षा, संरक्षा और आधुनिक मछली पकड़ने के उपकरणों, पोस्ट हारवेस्ट सुविधाओं और मारकेटिंग सपोर्ट के माध्यम से मछुआरों के जीवन स्तर में सुधार लाने पर भी केंद्रित है।

जलवायु अनुकूल तटीय मछुआरा गांव घटक के अंतर्गत, आंध्र प्रदेश सरकार के परामर्श से कुल 15 तटीय मछुआरा गांवों की पहचान की गई है। इन 15 गाँवों को 30 करोड़ रुपए की कुल लागत से जलवायु अनुकूल तटीय मछुआरा गांवों [क्लाईमेट रेसीलिएंट कोस्टल फिशरमैन विल्लेजस (CRCFV)] के रूप में विकसित करने के आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है, और CRCFV की स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को केंद्रीय शेयर की पहली किस्त, 7.50 करोड़ रुपए जारी कर दी गई है। इन 15 तटीय मछुआरा गाँवों का जिलेवार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) की मूल रूप से अनुमोदित योजना अवधि अर्थात् 2020-21 से 2024-25 के दौरान एकीकृत आधुनिक तटीय मत्स्यन गांवों और जलवायु अनुकूल तटीय मछुआरा गांवों [क्लाईमेट रेसीलिएंट कोस्टल फिशरमैन विल्लेजस (CRCFV)] के घटकों से संबंधित जो प्रस्ताव मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार को प्राप्त हुए थे, उन्हें अनुमोदित कर दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

आंध्र प्रदेश में आदर्श मत्स्यन गांवों के संबंध में 22 जुलाई, 2025 को उत्तर देने के लिए माननीय संसद सदस्य, लोक सभा श्री जी. एम. हरीश बालयोगी और श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 33 के उत्तर के भाग (घ) से (ङ) में उल्लिखित विवरण : जलवायु अनुकूल तटीय मछुआरा गांवों [क्लाईमेट रेसीलिएंट कोस्टल फिशरमैन विल्लेजस (CRCFV)] के रूप में विकसित करने के लिए आंध्र प्रदेश में पहचाने गए तटीय मछुआरा गांवों का जिलेवार विवरण

क्रम सं.	जिला	मंडल	गाँव
1	श्रीकाकुलम	श्रीकाकुलम	पेदागंगल्लावनिपेटा
2	श्रीकाकुलम	वज्रपुकोटुरु	देवुनलताडा
3	श्रीकाकुलम	कविता	इड्डीवानीपालेम
4	विजयनगरम	पुसप्तिरेगा	पथिवाड़ाबर्रीपेटा
5	विशाखापत्तनम	भीमिली	पेड्डाउप्पडा
6	अनकापल्ली	पायाकारापेटा	पेंटाकोटा
7	काकीनाडा	यू. कोथापल्ली	कोनापापापेटा
8	कृष्ण	नागायलंका	सोर्लागोंधी
9	कृष्ण	नागायलंका	गुल्लालामोडा
10	बापतला	बापतला	अदावीपंचायत
11	बापतला	निज़ामपट्नम	गोंडीसमुद्रम
12	प्रकाशम	कोठापट्टनम	पल्लेपलेम
13	नेल्लोर	बोगोले	तडिचेतलापलेम
14	नेल्लोर	टीपीगुदुर	एडुरुपालेम
15	तिरुपति	वकाडा	थुपिलिपेलम

****